कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमाननावाद संख्या 941/2021 (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2351/2019) खेमा राम आरेसा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा चम्पालाल व्यास के प्रकरण में जारी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री खेमा राम आरेसा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि याचिकार्थी को वर्ष 1990–91 की डीपीसी से तृतीय श्रेणी वेतनमान से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करते हुए प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश की पालना में याचिकार्थी द्वारा दिनांक 10.12.1992 को प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर बसंत, सुमेरपुर, पाली में कार्यग्रहण किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2008–09 में याचिकार्थी को पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर पद पदस्थापित किया गया जिसकी अनुपालना में श्री खेमा राम द्वारा रा.मा.वि कोलर, पाली में दिनांक 03.05.2010 को कार्यग्रहण किया गया। तदुपरान्त वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक के माध्यम से याचिकार्थी का प्रधानाध्यापक समकक्ष पद पर विभागीय आदेश दिनांक 26.03.15 द्वारा चयन किया गया। याचिकार्थी प्रधानाध्यापक पद पर निरन्तर सेवाएं देते हुए रा.मा.वि सरदारपुरा की ढाणी, रोहट, पाली से दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकार्थी द्वारा पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से वित्तीय परिलाभ दिये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया। याचिकार्थी का प्रकरण श्री चम्पालाल व्यास के प्रकरण से सर्वथा भिन्न है क्योंकि श्री चम्पालाल व्यास द्वारा वर्ष 2009 में पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण किया गया था और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री व्यास की नियमित डीपीसी की गई थी। याचिकार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनका पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर केवल पदस्थापन किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी नियमित डीपीसी नहीं की गई थी। याचिकार्थी की नियमित डीपीसी वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई थी। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश एफ.1(7)एफडी/रूल्स/2008 जयपुर दिनांक 30.07.13 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 23.02.2015 के अनुसार याचिकार्थी द्वारा वांछित लाभ नियमित डीपीसी उपरान्त कार्यग्रहण दिनांक से ही देय है। इस प्रकार याचिकार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह नियमानुसार देय नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति नहीं होने के कारण दिनांक 03.05.2010 से पदोन्नति परिलाभ दिया जाना संभव नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/खेमाराम/2351/2021 **दिनांकः 14/11/2022**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक पाली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर अवमाननावाद संख्या 941/2021 (अन्तर्गत एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2351/2019) हीरा लाल डांगी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 द्वारा याचिकार्थी श्री मोती लाल को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा चम्पालाल व्यास के प्रकरण में जारी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री मोती लाल, सेवा निवृत्त प्र.अ. द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि याचिकार्थी को वर्ष 1989–90 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार तृतीय श्रेणी वेतनमान से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करते हुए प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2008–09 में याचिकार्थी को पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर पद पदस्थापित किया गया जिसकी अनुपालना में याचिकार्थी श्री मोतीलाल द्वारा रा.मा.वि बडोद, पाली में कार्यग्रहण कर लिया गया। तत्पश्चात याचिकार्थी दिनांक 31.01.2010 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गए। याचिकार्थी द्वारा पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण की दिनांक से वित्तीय परिलाभ दिये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया। याचिकार्थी का प्रकरण श्री चम्पालाल व्यास के प्रकरण से सर्वथा भिन्न है क्योंकि श्री चम्पालाल व्यास द्वारा वर्ष 2009 में पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण किया गया था और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री व्यास की नियमित डीपीसी की गई थी। याचिकार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनका पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर केवल पदस्थापन किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी नियमित डीपीसी नहीं की गई थी। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश एफ.1(7)एफडी/रूल्स/2008 जयपुर दिनांक 30.07.13 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 23.02.2015 के अनुसार याचिकार्थी द्वारा वांछित लाभ नियमित डीपीसी उपरान्त कार्यग्रहण दिनांक से ही देय है। इस प्रकार याचिकार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह नियमानुसार देय नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति नहीं होने के कारण पातेय वेतन प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण दिनांक से पदोन्नति परिलाभ दिया जाना संभव नहीं है। उक्तानुसार याचिकार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/मोती लाल/2351/2021 दिनांकः 26-11-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक पाली।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)